आजीविका
उत्तराखण्ड हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना

ULIPH

आजीविका गाइड

विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित लाभकारी एवं कल्याणकारी योजनाओं का संकलन

उत्तराखण्ड हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना
272 सी0, फेज-2, वसंत विहार, देहरादून
फोन नं0- 0135-2762800, ईमेल- uliph05@yahoo.com,
वेबसाइट- www.ajeevika.org.in,ब्लॉग-www.uliph.blogspot.com

आजीविका गाइड

विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित लाभकारी एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आजीविका परिवारों को दिलाने हेतु एक संक्षिप्त ''आजीविका गाइड'' तैयार की गई है जिसको पढ़कर आजीविका परिवार सीधे योजना से सम्बन्धित कर्मचारी एवं अधिकारी से सम्पर्क कर योजना का लाभ स्वयं ले सकते हैं। इस ''आजीविका गाइड'' में लाभार्थी को ग्राम स्तर पर/न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जनपद स्तर पर तथा राज्य स्तर पर किस विभाग के किस कर्मचारी एवं अधिकारी से सम्पर्क करना है, का संकेत दिया गया है तथा कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, लाइवस्टोक डेवलपमेन्ट बोर्ड, उत्तराखण्ड शीप एवं वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड, डेयरी विकास विभाग, कृषि उत्पादन मण्डी, लघु सिंचाई, ग्राम्य विकास, ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत/ईकोटूरिज्म, वन विभाग, सहकारिता (जड़ी बूटी), बैंक/नाबार्ड आदि विभागों का शतप्रतिशत लाभ उठा सकते हैं।

(रंजना काला)
परियोजना निदेशक ULIPH एवं
प्रबन्ध निदेशक UPASaC

योजना का विवरण	अनुमन्य सुविधायें/अनुदान
कृषि विभाग	
एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम	
1 उन्नतशील फसल प्रजातियों के प्रमाणित/आधारीय बीजों के वितरण पर अनुदान	
धान, गेहूँ, जौ	रू0 500 प्रति कुन्तल
मोटा अनाज-मंडुवा, मादिरा, रामदाना आदि	रू0 800 प्रति कुन्तल
2 निशुल्क मिनिकिट के वितरण	धान, गेहूँ
3 सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण-जिंकसल्फेट/जैव उर्वरक वितरण/ हरी खाद उत्पादन, ढैंचा आदि	50% अधिकतम रू0 500 प्रति है0
4 आई0पी0एम0प्रदर्शन/फारमर्स फील्ड स्कूल धान (प्रति विकासखण्ड एक) 30 है0	रू0 17000 प्रति प्रदर्शन
5 खरपतवारनाशी रसायन, जैव कीटनाशी रसायनों पर अनुदान	मूल्य का 50% अधिकतम रू0 500 प्रति है0
6 आई0पी0एन0एम0फसल प्रदर्शन (एक वर्षीय फसल चक्र के आधार पर)	धान 2500/प्रति प्रदर्शन, गेहूँ 2000/प्रति प्रदर्शन/एकड़
7 बीजशोधन	25% मैक्रोमोड योजना अन्तर्गत समतुल्य राशि जिला योजना से
8 जिप्सम/बुझा हुआ चूना वितरण	50% अधिकतम रू0 500/है0
9 विविध रसायन वितरण	मूल्य का 50 प्रतिशत
कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम	
1 मानव चालित/पशु चालित यंत्र का वितरण	50% अधिकतम रू0 2000 एवं रू0 2500 क्रमशः
2 पशुचालित टूल कैरियर	50% अधिकतम रू0 3000
3 जीरोटिलेज सीड कम फर्टिड्रिल यंत्र का वितरण	40% अधिकतम रू0 20,000
4 ट्रैक्टर वितरण (40 एच.पी. तक के ट्रैक्टर)	25% अधिकतम रू0 45,000
5 पावर टिलर/8 बी.एच.पी. तथा उससे अधिक	50% अधिकतम रू0 45,000
6 पावर टिलर/8 बी.एच.पी. से कम	40% अधिकतम रू0 25,000
7 कृषि रक्षा उपकरण	
मानव चालित	50% अधिकतम रू0 800
शक्ति चालित	50% अधिकतम रू0 2,000
8 पोर्टेबेल वाटर लिफ्टिंग पम्प, डिलीवरी पाईप का वितरण (पर्वतीय क्षेत्र हेतु)	50% अधिकतम रू0 10,000
9 डीजल इंजन 5 से 10 हार्स पावर	50% अधिकतम रू0 10,000
10 कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग (डिलीवरी पाइप वितरण)	मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत
11 शक्ति चालित यंत्र	30% अधिकतम रू0 10,000
12 पावर थ्रेसर	30% अधिकतम रू0 15,000
13 सेल्फ प्रोपेर्ड रीपर, पैडी ट्रान्सप्लान्टर, तथा दूसरे इसी प्रकार की स्वचालित मशीनें	50% अधिकतम रू0 50,000
14 विशिष्ट शक्तिचालित मशीनें तथा रेज्ड ब्रेड प्लान्टर, सूगरकेन/ पोटटो प्लान्टर, पोटटो डिंगर, रोटावेटर	50% अधिकतम रू0 30,000

योजना का विवरण	अनुमन्य सुविधायें/अनुदान
तिलहन, दलहन एवं मक्का विकास कार्यक्रम	
1 प्रमाणित बीज वितरण-समस्त मक्का, तिलहनी एवं दलहनी फसलों के बीजों पर	50% अधिकतम रू0 1200/कुन्तल
2 आधारीय बीज उत्पादन	रू0 1000/- कुन्तल उत्पादन संस्थाओं के माध्यम से
अरहर की खेती को बढ़ावा देने का कार्यक्रम	
1 आई0पी0एन.एम. फसल प्रदर्शन का आयोजन	रू0 1000/एकड़/प्रदर्शन
कोरवैली बीजोत्पादन कार्यक्रम	
1 बीज उत्पादन करने वाले कृषकों को आधारीय बीज पर अनुदान कीमत का 25 प्रतिशत	प्रथम 3 वर्ष कीमत का 50% तीन वर्ष बाद 2 वर्षो तक
2 बीजोत्पादन में निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण शुल्क	कुल शुल्क पर 50% अनुदान देय
3 उत्पादित बीज को सड़क तक लाने का व्यय	वास्तवित ढुलान व्यय देय, जो जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित होगा
4 बीजोत्पादन हेतु स्वयं सहायता समूहों का गठन	बीज उत्पादक क्षेत्रों में गठन किया जायेगा, समूहों द्वारा बीजों को विक्रय/वितरण करने पर टी.डी.सी. द्वारा 5% कमीशन देय
5 उत्पादित बीज का मूल्य अधिक दिया जायेगा	पर्वतीय क्षेत्र में बीज का मूल्य मैदानी क्षेत्रों में निर्धारित बीज दर से रू0 200.00 अधिक दिया जायेगा।
स्थानीय फसलों को बढ़ावा देने की योजना	
1 325 मोटीवेटरों का चयन चयनित कलस्टरों में	रू0 500/- प्रतिमाह मानदेय पर
2 फसल प्रदर्शन 5 नाली हेतु	रू0 1250/-
3 कम्पोस्ट इनाकुलम/सूक्ष्म पोषक तत्व/जैव उर्वरक/ जैविक कीटनाशी/ जिप्सम/बुझा चूना वितरण	50 प्रतिशत अनुदान पर
मृदा परीक्षण कार्यक्रम	
1 मुख्य पोषक तत्वों के लिए शुल्क	रू0 7/- प्रति नमूना
2 सूक्ष्म पोषक तत्वों हेतु शुल्क	रू0 51/- प्रति नमूना
आत्मा कार्यक्रम	
1 प्रदर्शन (सभी रेखीय विभागों के माध्यम से अलग-अलग)	रू0 4000/एकड़/प्रदर्शन, किन्तु विभागीय योजना की_सीमा तक
2 कमोडिटी आधारित कृषक/महिला समूह गठन	
कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु	रू0 5000/समूह
रिवाल्विंग फण्ड	रू0 10,000/- समूह
3 जनपद स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कृषक/समूह को पारितोषिक-वार्षिक (सभी रेखीय विभागों के माध्यम से अलग अलग)	रू0 20,000/- समूह
4 सर्वश्रेष्ठ कृषक पुरस्कार-वार्षिक (सभी रेखीय विभागों के माध्यम से अलग अलग)	
ब्लाक स्तर पर- 5 एक प्रत्येक विभाग/इन्टरप्राइज से	रू0 10,000/-
जनपद स्तर पर-10 एक प्रत्येक विभाग/इन्टरप्राइज से	रू0 25,000/-
राज्य स्तर पर-10 एक प्रत्येक विभाग/इन्टरप्राइज	रू0 50,000/-

योजना का विवरण	अनुमन्य सुविधायें/अनुदान
5 फार्म स्कूल-ब्लाक/न्याय पंचायत स्तर पर (सभी रेखीय विभागों के माध्यम से अलग अलग व समन्वित)	रू0 50,000/-
6 सर्वश्रेष्ठ आत्मा जनपद को पारितोषिक वार्षिक	रू0 1,00,000/-

उक्त योजनाओं हेतु सम्पर्क सूत्र निम्न हैं-

ग्राम/न्याय पंचायत स्तर	ब्लॉक स्तर	जनपद स्तर	राज्य स्तर
न्याय पंचायत प्रभारी (कृषि)	ब्लॉक प्रभारी (कृषि)	मुख्य कृषि अधिकारी	निदेशक कृषि

उद्यान विभाग

हार्टिकल्चर टेक्नोलाजी मिशन के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम क्षेत्रफल विस्तार

1 फल पौधा विस्तार पर अनुदान	75 प्रतिशत, अधिकतम रू0 22500/ है0 तीन वर्षो में 50:20:30 के अनुपात में
2 पुराने उद्यानों का जीर्णोद्वार	रू0 15000/- है0
3 सब्जी विकास हेतु	
• पौधे से उत्पादन वाली सब्जियों पर अनुदान	50% अधिकतम रू0 13000/- है0
• सीधे बीज से उत्पादन वाली सब्जियों पर	50% अधिकतम रू0 4000/- है0
4 मसाला क्षेत्रफल विस्तार हेतु अनुदान	50% अधिकतम रू0 13000/- है0
5 पुष्प क्षेत्रफल विस्तार हेतु अनुदान (0.20 है0)	50% अधिकतम रू0 13000/- ईकाई

सामुदायिक टैंक क्षेत्रफल विस्तार

1 सामुदायिक टैंक निर्माण हेतु अनुदान	50% अधिकतम रू0 1,00,000/-

ग्रीन हाउस/सेडनेट/एन्टीहेलनेट/पक्षी अवरोधक जाली

1 अधिकतम 100 वर्ग मी0 तक क्षेत्र के लिए सामान्य ग्रीन हाउस हेतु अनुदान	रू0 125/- वर्ग मी0
2 हाईटेक ग्रीन हाउस हेतु अनुदान (अधिकतम 1000 वर्ग मी0)	रू0 325/- वर्ग मी0, अधिकतम रू0 40000
3 सेडनेट स्थापना हेतु अनुदान (अधिकतम 1000 वर्ग मी0)	50% या रू0 500/- पौधे अधिकतम 50 पौधे/लाभार्थी
4 सेडनेट स्थापना हेतु अनुदान (अधिकतम 500 वर्ग मी0)	50% या रू0 500/- पौधे अधिकतम 50 पौधे/लाभार्थी
5 पक्षी अवरोधक जाली	50% या रू0 2000/है0

स्प्रिंकलर सिंचाई/ड्रिप सिंचाई एवं मल्चिंग

1 स्प्रिंकलर सिंचाई की स्थापना हेतु अनुदान	अनु0जा0/ अनु0ज0जाति/महिला कृषक के लिए-रू0 15000/है0 एवं सामान्य कृषक हेतु
2 ड्रिप सिंचाई सिस्टम पौधे से पौधे की दूरी के आधार पर अधिकतम अनुदान	रू0 28500/-है0
3 प्लास्टिक मल्चिंग हेतु अनुदान	50% अधिकतम रू0 7000/है0

आर्गेनिक खेती

1 वर्मी कम्पोस्ट पिट निर्माण हेतु अनुदान (30'x8x2.5)	50% अधिकतम रू0 30000/-
2 जैविक खेती प्रोत्साहन हेतु अनुदान	रू0 10000/- है0

योजना का विवरण	अनुमन्य सुविधायें/अनुदान
पालीनेशन सपोर्ट (मौन वंश)	
1 मौन वंश/मौनबाक्स क्रय हेतु अनुदान	50% अधिकतम रू0 800/- प्रति सैट प्रति लाभार्थी
महिलाओं का विकास	
1 महिला कृषकों में उद्यमिता विकास हेतु महिला समूह के गठन पर स्हायता	रू0 5 हजार प्रति समूह
जिला सेक्टर योजना	
1 फल पट्टी विकास पर अनुदान	50% अधिकतम रू0 5 हजार प्रति हे0
2 आलू विकास	50% अधिकतम रू0 2 हजार प्रति हे0
3 औद्यानिक औजार/ संयंत्र के वितरण पर	50% राज सहायता
4 उन्नतशील सिंचाई टैंक के निर्माण पर अनुदान	50% अधिकतम रू0 5 हजार
5 पुष्प उत्पादन (0.10हे0)	
राज्य सेक्टर योजना	
1 मसाला विकास अन्तर्गत प्रदर्शन (0.2हे0)	रू0 2000/- प्रदर्शन
2 बेमौसमी सब्जी उत्पादन योजना के अन्तर्गत अनुदान	रू0 300/- 2 नाली
3 पर्वतीय क्षेत्र में उद्यानों की घेरबाड़ की योजना पर अनुदान	50% अधिकतम रू0 33300/-
4 अ) पाश्चुराइज्ड कम्पोस्ट उत्पादन पर सहायता बी.पी.एल./एस.टी./ लघु सीमान्त कृषकों को	रू0 1000/- प्रति टन
ब) अन्य कृषकों को	रू0 500/- प्रति टन
5 कम्पोस्ट ढुलाई समीपस्थ रोड हेड तक	शत प्रतिशत राज्य सहायता

उक्त योजनाओं हेतु सम्पर्क सूत्र निम्न हैं-

ग्राम/न्याय पंचायत स्तर	ब्लॉक स्तर	जनपद स्तर	राज्य स्तर
प्रभारी उद्यान सचल दल	प्रभारी उद्यान सचल दल	जिला उद्यान अधिकारी	निदेशक उद्यान

मत्स्य विभाग

1 मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना अन्तर्गत	
• पर्वतीय क्षेत्र में तालाब सुधार एवं मत्स्य निवेश पर	अनुदान 20% रू0 70 हजार प्रति हे0
• मैदानी क्षेत्र में तालाब सुधार एवं मत्स्य निवेश पर	अनुदान 20% रू0 25 हजार प्रति हे0
2 शीतल जल मत्स्यिकी विकास योजना	
• पर्वतीय क्षेत्र में रनिंग वाटर फिश कल्चर तालाबों का निर्माण एवं मत्स्य निवेश पर	अनुदान 20% रू0 12 हजार प्रति सौ वर्ग मी0
3 राष्ट्रीय मछुआ कल्याण योजना	
• आदर्श मछुआ गांवों के विकास में प्रत्येक आवास पर	रू0 50 हजार की लागत से निशुल्क आवास निर्माण
• मछुआ समुदाय हेतु पेयजल व्यवस्था पर	रू0 30 हजार प्रति नलकूप व्यय की व्यवस्था
• मछुआ समुदाय हेतु दुर्घटना बीमा योजना	रू0 10 हजार एवं 50 हजार प्रति लाभार्थी
4 विशेष संघटक उपयोजना/जनजाति उपयोजना	

योजना का विवरण	अनुमन्य सुविधायें/अनुदान
• मैदान क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति द्वारा तालाब निर्माण व मत्स्य निवेश पर	अनुदान 70% अधिकतम रू0 49 हजार प्रति 0.2 हे0 मत्स्य निवेश पर के लिए
• पर्वतीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति/ जनजाति द्वारा तालाब निर्माण व मत्स्य निवेश पर	अनुदान 70% अधिकतम रू0 42 हजार प्रति सौ वर्ग मत्स्य निवेश मी0 हेतु

उक्त योजनाओं हेतु सम्पर्क सूत्र निम्न हैं-

ग्राम/न्याय पंचायत स्तर	ब्लॉक स्तर	जनपद स्तर	राज्य स्तर
-	-	सहायक निदेशक मत्स्य/ मत्स्य निरीक्षक	निदेशक मत्स्य

पशुपालन विभाग

1 प्राथमिक पशुचिकित्सा/ आपातकालीन पशुचिकित्सा सेवा	पशु सेवा केन्द्र/प0चि0 पर बड़े पशु प्रति 10 रू0, छोटे प्रति 5 रू0 कुत्ता, बिल्ली 40 रू0 प्रति, कुक्कुट निशुल्क
2 बधियाकरण	बड़े पशु (संख्या पर) रू0 15, पशुपालक के द्वारा पर रू0 25 छोटे पशु रू0 10, पशुपालक के द्वारा पर रू0 15 प्रति
3 टीकाकरण	एच0एस0/बी0क्यू0 रू0 1 एफ0एम0डी0 मूल्य पर, शीप पॉक्स रू0 1, स्वाईन फीवर रू0 2, फाउल पॉक्स रू0 1, प्रति पी0 पी0आर0 मूल्य पर
4 कृत्रिम गर्भाधान	रू0 50 प्रति स्ट्रॉ प्रति कृत्रिम गर्भाधान
5 जांच सेवाएं	रक्त रू0 10, मल रू0 5, मूत्र रू0 5
6 स्वास्थ्य परीक्षण	बड़े पशु रू0 50 छोटे पशु रू0 20 प्रति
7 चारा बीज वितरण प्रदर्शन हेतु	निशुल्क
8 चूजा वितरण	कृषकों को उनकी मांग पर उपलब्ध कराये जाते हैं।

लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

राष्ट्रीय गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन परियोजना (एन.पी.सी.बी.बी.)

1 कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण (पैरावेट)	रू0 10 हजार प्रति पैरावेट प्रशिक्षण
2 पैरावेट केन्द्र की स्थापना हेतु ए.आई. किट प्रशिक्षित पैरावेट को उपलब्ध कराना	रू0 30 हजार प्रति ए.आई. किट हेतु
3 नैसर्गिक अभिजनन कार्य हेतु अति दुर्गम क्षेत्रों में गाय एवं भैंसा सांडों का वितरण	रू0 11500/- तक के मूल्य का उन्नत नस्ल का सांड पशुपालकों को उनकी मांग के अनुसार निःशुल्क वितरण रू0 50/- प्रति कृत्रिम गर्भाधान शुल्क प्राप्त कर पशुपालक के द्वार पर
4 कृत्रिम गर्भाधान सुविधा	रू0 50/- प्रति कृत्रिम गर्भाधान शुल्क प्राप्त कर पशुपालक के द्वारा पर
5 बांझपन निवारण शिविरों का पशुपालन विभाग के माध्यम से आयोजन	रू0 10 हजार प्रति शिविर पर व्यय
6 फील्ड पर फोरमेन्स रिकार्डिंग कार्यक्रम- उन्नत दुधारू पशुओं (गाय/भैंस) की पहचान करके उनके एक ब्यांत के दूध की रिकार्डिंग करके हार्ड रजिस्टर में अंकित किया जाना	रू0 10/- प्रति दुहान (एक ब्यांत में कुल 20 से 22 सुबह/सांय के दुहान की रिकार्डिंग) की दर से मिल्क रिकार्डर को भुगतान हार्ड रजिस्टर में अंकित होने वाले गाय/भैंस के पशुपालक को रू0 950/- का पशुआहार आदि के रूप में अनुदान

चारा विकास कार्यक्रम

1 वन पंचायत/सिविल सोयम/जे.एफ.एम. में चारा नर्सरी की स्थापना	रू0 29000/- प्रति हैक्टेयर (अधिकतम 5 हैक्टेयर प्रति यूनिट)

योजना का विवरण	अनुमन्य सुविधायें/अनुदान
2 वन पंचायत/सिविल सोयम/जे.एफ.एम. में चारा नर्सरी की स्थापना	रू0 30/ प्रति ब्लाक भुगतान पर
3 कम्पैक्ट फीड फाडर ब्लॉक (प्रति 5 किग्रा. ब्लाक) का वितरण	रू0 30/- प्रति ब्लॉक भुगतान पर
4 यूरिया-शीरा-खनिज चाटन भेली (2.5 किग्रा. प्रति भेली) का वितरण	रू0 30/- प्रति चाटन भेली भुगतान पर
5 चारा मिनीकट का वितरण रबी (जई, बरसीम एवं रिजका), खरीफ मक्का, ज्वार, चरी एवं लोबिया) तथा जायद (मक्का एवं लोबिया)	राजकीय पशुचिकित्सालय, पशुऔषाधालय एवं दुग्ध समितियों के माध्यम से निःशुल्क वितरण
6 बहुवर्षीय चारा घासों के रूट स्टॉक का वितरण	चारा नर्सरियों के माध्यम से पशुपालकों को निःशुल्क वितरण

उक्त योजनाओं हेतु सम्पर्क सूत्र निम्न हैं-

ग्राम/न्याय पंचायत स्तर	ब्लॉक स्तर	जनपद स्तर	राज्य स्तर
पशुधन प्रसार अधिकारी (LEO)	पशु विकास अधिकारी	मुख्य पशु चिक्तिसा अधिकारी	निदेशक पशुपालन

उत्तराखण्ड शीप एवं वूल डेवलपमेंट बोर्ड

1 एकीकृत ऊन सुधार परियोजना	• निःशुल्क उन्नत नस्ल के मेढ़ा वितरण • पशुपालन की विभागीय दरों पर स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम
2 जनजाति उपयोजना	• चयनित लाभार्थियों को भेड़ एवं बकरी पालन में प्रशिक्षण • लघु भेड़ इकाईयों का वितरण • भर बकत वितरण
3 केन्द्रीय भेड़ पालक बीमा योजना	रू0 80 के प्रीमियम दर पर भेड़ पालक का बीमा
4 मोरी विकासखण्ड उत्तरकाशी में आयोजन सुधार योजना के अन्तर्गत योजना	• मोरी विकासखण्ड, उत्तरकाशी के चयनित लाभार्थियों को मेढ़ा वितरण • मोरी विकासखण्ड, उत्तरकाशी में भेड़ों हेतु चिकित्सा शिविरों का आयोजन

डेयरी विकास विभाग

1 ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध समितियों का गठन कर उत्पादकों से उचित दर पर दूध क्रय किया जाता है	**दुग्ध समिति को प्रथम तीन वर्षों में संयंत्र, कार्यशील पूंजी, प्रशिक्षण तथा प्रबन्धकीय अनुदान हेतु क्रमशः रू0 33700, रू0 8000 एवं रू0 5800 उपलब्ध कराया जाता है।**
2 दुग्ध समिति सदस्यों को पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है	दुग्ध समिति सदस्यों से नाममात्र का पर्यवेक्षण शुल्क वसूल कर उन्हें निःशुल्क पशु औषधियां उपलब्ध करायी जाती हैं।
3 दुग्ध समिति सदस्यों को संतुलित आहार उपलब्ध कराया जाता है	प्रति किग्रा. तथा मैदानी क्षेत्रों में 1/-रू.प्रति किग्रा. की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जाता है
4 दुग्ध समिति को दुग्ध कक्ष एवं भूसा गोदाम निर्माण कराया जाता है	दुग्ध समिति को रोड हैड तथा दूध पहुंचाने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में 30 पैसा प्रति ली. तथा मैदानी क्षेत्रों में 15 पैसा प्रति ली. की दर से हैडलोड अनुदान दिया जाता है।
5 दुग्ध समितियों को दुग्ध कक्ष एवं भूसा गोदाम निर्माण कराया जाता है	दुग्ध समितियों को पर्वतीय क्षेत्रों में दुग्ध कक्ष एवं भूसा गोदाम निर्माण हेतु क्रमशः 3.00 व 3.50 लाख रू0 तथा मैदानी क्षेत्रों में क्रमशः 2.5 व 3.00 लाख रू0 अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।
6 दुग्ध समिति सदस्यों को दुग्ध उत्पाद विविधीकरण हेतु सुविधा उपलब्ध करायी जाती है	दुग्ध समिति सदस्यों को ग्राम स्तर पर दूध के अन्य पदार्थ जैसे घी, मक्खन, पनीर आदि के निर्माण हेतु संयंत्र एवं उपकरण क्रय

योजना का विवरण	अनुमन्य सुविधायें/अनुदान
	के लिए 10 हजार रू0 का अनुदान।
7 दुग्ध समिति सदस्य को बिग डेयरी योजना उपलब्ध करायी जायेगी	पशु क्रय हेतु अधिकतम 3 लाख रू0 का ऋण 10% मार्जिन मनी लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा। ऋण की 50% धनराशि ब्याज मुक्त होगी तथा ऋण की अदायगी समय से करने पर शेष 40% ऋण राशि का 50% ब्याज मुक्त होगा। इस प्रकार लाभार्थी द्वारा ऋण का समय से भुगतान करने पर 70% ऋण पर अर्जित ब्याज की धनराशि माफ होगी।

उक्त योजनाओं हेतु सम्पर्क सूत्र आगे दिये गये हैं-

डेयरी विभाग :

ग्राम/न्याय पंचायत स्तर	ब्लॉक स्तर	जनपद स्तर	राज्य स्तर
राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक/दुग्ध निरीक्षक/ वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक	-	सहायक निदेशक (दुग्ध)	निदेशक दुग्ध

दुग्ध संघ :

ग्राम/न्याय पंचायत स्तर	ब्लॉक स्तर	जनपद स्तर	राज्य स्तर
ग्रुप सचिव/क्षेत्र प्रबन्धक दुग्ध संघ	-	जिला प्रबन्धक दुग्ध संघ	प्रबन्धक निदेशक दुग्ध संघ

कृषि उत्पादन मण्डी परिषद

योजना	अनुमन्य सुविधायें/अनुदान
1 छात्रवृत्ति योजना	प्रतिमाह 1500 रू0
2 दुर्घटना से मृत्यु या शारीरिक क्षति होने पर वित्तीय सहायता	• कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना से मृत्यु होने पर 50 हजार रू0 • दुर्घटना में दोनों हाथ/पैर या आंखे क्षति होने पर 30 हजार रू0 • दुर्घटना में एक हाथ, एक पैर या आंख क्षति होने पर 15 हजार रू0 • दुर्घटना में एक हाथ की एक साथ चार अंगुलियों की क्षति होने पर 14 हजार रू0 • दुर्घटना में एक साथ तीन अंगुलियों की क्षति होने पर 10 हजार रू0 • दुर्घटना में एक हाथ के अंगूठे की क्षति होने पर 9 हजार रू0 • अंगूठे को छोड़कर किसी भी एक या दो अंगुली की क्षति होने पर 1500 रू0
3 कृषक उत्पादक क्षति सहायता योजना (आग, वर्षा, या बाढ़ से सम्पत्ति/पशु/फसल/कृषि योग्य भूमि की क्षति)	• सीमान्त एवं लघु (2 है0 तक भूमि) कृषक को अधिकतम रू0 10 हजार अथवा वास्तविक आंकलन क्षति जो भी कम हो • सामान्य (2 है0 से अधिक भूमि) कृषक को अधिकतम रू0 12 हजार अथवा वास्तविक आंकलन क्षति जो भी कम हो।

उक्त योजनाओं हेतु सम्पर्क सूत्र हैं सचिव मण्डी परिषद (मण्डी स्तर पर)

लघु सिंचाई विभाग

योजना	अनुमन्य सुविधायें/अनुदान
1 जिला योजना	एकल योजना, गूल, हौज, हाईड्रम,आर्टीजन एवं बोरिंग आदि का निर्माण किया जाता है।

योजना का विवरण	अनुमन्य सुविधायें/अनुदान
2 राज्य योजना	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों के उत्थान हेतु एकल योजना, गूल, हौज, हाईड्रम,आर्टीजन एवं बोरिंग आदि का निर्माण किया जाता है।
3 केन्द्र पुरोनिर्धारित योजना (AIBP)	• ऐसी परियोजना (गूल, हौज, हाईड्रम एवं वियर का निर्माण) जिसकी सिंचन क्षमता 20 है0 तथा लागत प्रति है0 रू0 1.5 लाख से कम हो या परियोजनाओं कलस्टर जो 5 किमी0 की परिधि में हो तथा कुल सिंचन क्षमता 50 है0 हो एवं लागत प्रति है0 रू0 1.5 लाख से अधिक न हो, का निर्माण किया जाता है। • विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के निर्माण हेतु प्रस्ताव कृषक समूहों/ग्राम पंचायत द्वारा विकासखण्ड में तैनात कनिष्ट अभिन्यता/ खण्ड विकास अधिकारी, उपखण्डीय कार्यालय में तैनात सहायक अभियन्ता को उपलब्ध कराया जा सकता है। लघु सिंचाई विभाग द्वारा सामुदायिक सिंचाई योजनाओं को निर्माण करने के पश्चात संबन्धित ग्राम पंचायत/जल उपभोक्ता समूहों को हस्तांतरित कर दिया जाता है जिसके रख-रखाव व संचालन का दायित्व लाभान्वित कृषकों का होता है।

उक्त योजनाओं हेतु सम्पर्क सूत्र निम्न हैं-

ग्राम/न्याय पंचायत स्तर	ब्लॉक स्तर	जनपद स्तर	राज्य स्तर
-	अवर अभियन्ता लघु सिंचाई	अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई	मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई

ग्राम्य विकास विभाग

फेडरेशनों एवं स्वयं सहायता समूहों को ऋण अनुदान देने की व्यवस्था

1 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत	एक SHG को प्रथम ग्रेडिंग के बाद 10 हजार रू0 रिवाल्विंग एवं द्वितीय ग्रेडिंग के बाद रू0 1.25 लाख या प्रोजेक्ट लागत का 50% अनुदान जो भी कम हो दिया जाता है।
2 विधायक/सांसद निधि	फेडरेशनों के लिए विपणन केन्द्र संग्रहण हेतु एवं कार्यालय निर्माण हेतु मा0 विधायक एवं मा0 सांसदों को प्रस्ताव भेजकर विपणन केन्द्रों के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत हो सकती है।
3 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अवस्थापना मद	स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अवस्थापना मद से फेडरेशनों के लिए विपणन/संग्रहण केन्द्र निर्माण हेतु प्रस्ताव परियोजना निदेशक/मुख्य विकास अधिकारी को भेजा जा सकता है। गवर्निंग बॉडी से प्रस्ताव पास होने पर धनराशि स्वीकृत होती है
4 वी.आर.जी.एफ./ वी.ए.डी.पी.	फेडरेशन के लिए वी.ए.डी.पी. के तहत विपणन केन्द्रों के निर्माण हेतु अनुदान की व्यवस्था है। बी.आर.जी.एफ. में मार्केटिंग सेन्टर बनते हैं। जहां ग्रामीणों को उत्पादित सामान की बिक्री हेतु सुविधा दी जाती है।
5 महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना एक्ट (मनरेगा)	महात्मा गांधी रा ष्ट्रीय रोजगार योजना के अन्तर्गत वनपंचायतों में या ग्राम सभा में पेड़ विहीन सिविल भूमि पर चारा विकास एवं वनीकरण/दीवालबंदी, चैकडैम, जल सम्भारण एवं जल संरक्षण कार्य, निकास नाली का निर्माण कराया जा सकता है। प्रस्ताव खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से परियोजना निदेशक को भेजना है।
6 इन्दिरा आवास योजना	सर्वेक्षित आवास विहीन बी.पी.एल. परिवारों को पहाड़ों में रू037500 एवं मैदान में रू0 35 हजार अनुदान की व्यवस्था है।
7 दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना	आवास विहीन बी.पी.एल. परिवारों को इन्दिरा आवास योजना की दरों पर अनुदान दिया जाता है।
8 उत्तराखण्ड ऋण सह अनुदान आवास योजना	आवास निर्माण हेतु रू0 32 हजार वार्षिक आय वर्ग तक के परिवारों

योजना का विवरण	अनुमन्य सुविधायें/अनुदान
	को रू0 10 हजार अनुदान एवं रू0 40 हजार ऋण की सुविधा है।
9 आई.डब्ल्यू.डी.पी. (विकेन्द्रीकृत जलागम विकास योजना)	चयनित वाटरशेड क्षेत्र के अन्तर्गत आच्छादित ग्रामों को चैकडैम, वनीकरण, उद्यानीकरण, समतलीकरण, चाराविकास, नाली निर्माण हेतु सभी परिवारों को लाभान्वित किया जाता है। (योजनाओं शतप्रतिशत राज्य सहायता की व्यवस्था है)
10 डी.पी.ए.पी. (सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास योजना)	इस योजना के अन्तर्गत वे सभी योजनायें संचालित की जाती हैं, जो बंजर भूमि विकास योजना (IWDP) के अन्तर्गत अनुमन्य है।

उक्त योजनाओं हेतु सम्पर्क सूत्र निम्न हैं-

ग्राम/न्याय पंचायत स्तर	ब्लॉक स्तर	जनपद स्तर	राज्य स्तर
योजना 8- ग्राम पंचायत विकास अधिकारी व प्रधान यो. 9- प्रभारी कृषि यो.10- ग्राम पंचात विकास अधिकारी	यो.8- खण्डविकास अधिकारी व ब्लॉक प्रमुख यो.9- ब्लॉक प्रभारी (कृषि)/सहायक निदेशक जलागम यो.10- खण्ड विकास अधिकारी	मुख्य कृषि अधिकारी	यो. 8, 9 व 10 आयुक्त/सचिव ग्राम्य विकास विभाग

समाज कल्याण विभाग

1 पेंशन योजना	वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग योजना की सुविधा
2 स्वतः रोजगार योजना	अनुसूचित जाति के परिवारों को डेरी/कुटीर उद्योगों से आय अर्जित करने हेतु रू0 10 हजार अनुदान एवं बैंकों से ऋण की व्यवस्था है।
3 स्पेशल कम्पोनेट प्लान	स्पेशल कम्पोनेट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में सड़क/सी.सी. निर्माण, बारातघर एवं विपणन केन्द्र निर्माण की व्यवस्था है। आजीविका परियोजना के अन्तर्गत फेडरेशन भी विपणन केन्द्र निर्माण हेतु प्रस्ताव ग्राम सभा/क्षेत्र पंचायत के माध्यम से समाज कल्याण अधिकारी को भिजवा सकते हैं।
4 जनश्री बीमा योजना	18 से 59 आयु के बी.पी.एल. परिवारों के कमाऊ मुखिया के सामान्य मृत्यु पर 30 हजार रू0, दुघर्टना से मृत्यु होने पर रू0 75 हजार तथा आंशिक अपंगता पर रू0 37500, पूर्ण अपंग होने पर रू0 75 हजार बीमा राशि आश्रित को भुगतान की जाती है। इसमें रू0 100 प्रीमियम उत्तराखण्ड सरकार द्वारा एवं रू0 100 प्रीमियम केन्द्र सरकार द्वारा जमा किया जाता है। दुघर्टना की स्थिति में FIR एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जमा करना आवश्यक है।

उक्त योजनाओं हेतु सम्पर्क सूत्र निम्न हैं-

ग्राम/न्याय पंचायत स्तर	ब्लॉक स्तर	जनपद स्तर	राज्य स्तर
यो. 1 से 4- ग्राम पंचायत विकास अधिकारी व प्रधान	यो. 1 से 4- सहायक विकास अधिकारी/ सहायक समाज कल्याण अधिकारी	यो. 1 से 3 जिला समाज अधिकारी यो.- 4 जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं सहायक प्रबंधक बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम	यो. 1 से 3- सचिव समाज क्ल्याण यो. 4- महाप्रबन्धक बहु.वित्त एवं विकास निगम

स्वजल

1 स्वच्छता कार्यक्रम (शौचालय निर्माण)	प्रत्येक परिवार को 1200 रू0 अनुदान पर शौचालय निर्माण हेतु अनुदान देने की व्यवस्था है।

योजना का विवरण	अनुमन्य सुविधायें/अनुदान
2 पेयजल निर्माण	पेयजल निर्माण 90 प्रतिशत अनुदान पर निर्मित करते हैं।

उक्त योजनाओं हेतु सम्पर्क सूत्र निम्न हैं-

ग्राम/न्याय पंचायत स्तर	ब्लॉक स्तर	जनपद स्तर	श्राज्य स्तर
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी व प्रधान	खण्ड विकास अधिकारी	परियोजना प्रबन्धक स्वजल	सचिव पेयजल

उरेडा (वैकल्पिक ऊर्जा)

1 सोलर प्लेट लाइट	सामूहिक रूप से ग्राम को 24 हजार रू0 शतप्रतिशत सब्सिडी 5 हजार सेक्यूरिटी जमा करने पर
2 सोलर लालटेन	3725 रू0 लागत पर 40 प्रतिशत छूट पर 2285 रू0 अनुदान पर
3 सोलर प्रेशर कुकर	2150 रू0 बिना सब्सिडी
4 पानी के घराट (कम पानी हेतु)	• मैकेनिकल - 41 हजार रू0 75 प्रतिशत अनुदान पर • इलेक्ट्रिकल अनुदान 1.16 लाख रू0 या कुल लागत का 75 प्रतिशत (जो भी कम हो)
5 घरेलू बत्ती (बैटरी + पैनल सहित)	अनुदान 40% — लाभ अंश • 6 बत्ती पर- 10400 रू0 — 60% • 4 बत्ती पर- 7400 रू0 — 60% • 2 बत्ती पर- 4200 रू0 — 60% • 1 बत्ती पर- 2100 रू0 — 60%
6 बायोगैस निर्माण	कुल लागत का 50% या कुल 10 हजार रू0 जो कम हो, अनुदान देय है।
7 सोलर वाटर हीटर	100 लीटर पर 6 हजार रू0 अनुदान एवं 75% विद्युत बिल पर छूट की व्यवस्था है।

उक्त योजनाओं हेतु सम्पर्क सूत्र निम्न हैं-

ग्राम/न्याय पंचायत स्तर	ब्लॉक स्तर	जनपद स्तर	राज्य स्तर
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी व प्रधान	खण्ड विकास अधिकारी	परियोजना अधिकारी उरेडा	निदेशक वैकल्पिक ऊर्जा

पंचायत विभाग

1 पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ जिला पंचायत/ नगर पंचायत	• क्षेत्र निधि से विपणन केन्द्र बनाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी को प्रस्ताव भेजे जाते हैं। • राज्य वित्त एवं 13वें वित्त के लिए ग्राम सभाएं फेडरेशन के प्रस्ताव के आधार पर कार्ययोजना में सम्मिलित कर सकते हैं। • जिला पंचायत भी अपने राज्य वित्त/13वें वित्त एवं विभागीय बजट में भी विपणन केन्द्रों का निर्माण कर सकते हैं।

उक्त योजनाओं हेतु सम्पर्क सूत्र निम्न हैं-

ग्राम/न्याय पंचायत स्तर	ब्लॉक स्तर	जनपद स्तर	राज्य स्तर
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी व प्रधान	खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लॉक प्रमुख	जिला पंचायतराज अधिकारी	आयुक्त ग्राम विकास/निदेशक पंचायतराज

योजना का विवरण | **अनुमन्य सुविधायें/अनुदान**

वन विभाग (सोशल फोरेस्ट्री)

1 महिला नर्सरियों की स्थापना

महिला स्वयं सहायता समूह या कोई भी महिला समूह नर्सरियों की स्थापना कर वनपौध उत्पादन कर सकते हैं। उत्पादित वन पौधों को वन विभाग अपने निर्धारित दरों पर पौधों का क्रय करेगी। समूह इसी दर पर अन्य को भी पौध बेच सकती है।

2 जड़ी बूटी उत्पादन

सहकारिता

जड़ी बूटियों का उत्पादन खेती के रूप में करने हेतु प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था है तथा औषधि निर्माण हेतु क्रय करना

उक्त योजनाओं हेतु सम्पर्क सूत्र निम्न हैं-

ग्राम/न्याय पंचायत स्तर	ब्लॉक स्तर	जनपद स्तर	राज्य स्तर
यो.2- सचिव सहकारी समितियां उत्तराखण्ड	यो.1- वन क्षेत्र अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी यो.2- सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) एवं वर्गीकरण सहायक	यो.1- प्रभागीय वन अधिकारी यो.2- सहायक निबंधक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड	यो.1- अपर प्रमुख वन संरक्षक (पंचायती वन) यो.2- निबंधक सहकारिता

बैंक एवं नाबार्ड

भारतीय स्टेट बैंक

1 गौरा देवी महिला ऋण योजना

उद्देश्यः ग्रामीण महिलाओं का विकास

योजना में पात्रताः सेवा क्षेत्र के ग्रामों की समस्त ग्रामीण महिलायें जिनका खाता बैंक की शाखाओं में कम से कम छः माह पूर्व खोला गया हो।

चयन प्रक्रियाः शाखा प्रबन्धक प्रत्येक ग्राम में क्रमवार/लक्ष्यवार सूची तैयार करेंगे।

ऋण का प्रकार एवं अवधिः मियादी ऋण/5 वर्ष

ऋण राशिः 50 हजार रूपये

मार्जिनः निरंक

प्रतिभूतिः ऋण द्वारा उत्पन्न की गयी सम्पत्ति पर प्राथमिक आडमान (hypothecation)

प्रलेखों का विवरणः 1 ऋण आवेदन पत्र 2 व्यवस्था पत्र 3 हाईपोथिकेशन एग्रीमेंट

क्रियाकलापः 1 कृषि, 2 उद्योग, 3 सेवा के क्षेत्र में बैंक द्वारा निर्धारित क्रिया कलाप

2 स्वयं सहायता समूह क्रेडिट कार्ड

उद्देश्यः SHG तथा उनके सदस्यों को लघु उद्यमिता/आर्थिक गतिविधि चलाने योग्य बनाना तथा उन्हें झंझट मुक्त ऋण प्रदान करना

योजना में पात्रताः परिपक्व स्वयं सहायता समूह

ऋण सीमाः 1 स्वयं सहायता समूह की आधारभूत राशि का 4 गुना जिसमें इनकी बचत शामिल है।

2 उच्च मात्रा वाली वित्तीय गतिविधियों के लिये अपेक्षित प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि प्रस्ताव लाभदायक लगता हो

मार्जिनः शून्य

योजना का विवरण	अनुमन्य सुविधायें/अनुदान
	वैधताः स्वयं सहायता समूह क्रेडिट कार्ड तीन वर्षों के लिये वैध होगा। स्वीकृति दाता प्राधिकारी द्वारा प्रति वर्ष संवीक्षा की जायेगी।
	प्रतिभूतिः बैंक ऋण से सृजित आस्तियों का दृष्टिबंधन (hypothecation)
	सीमाः क्रेडिट सीमा न्यूनतम रू0 50,000 होगी। ऋण सुविधा की प्रकृति नकद ऋण सीमा की भांति स्वीकृत होगी।
	ब्याज दरः जो भी स्वयं सहायता समूह ऋण पर लागू हो।
3 स्वयं सहायता समूह गोल्ड कार्ड	उद्देश्यः SHG गोल्ड कार्ड केवल आरम्भिक/चालू आर्थिक/आय सृजित गतिविधियों के लिए जारी किया जायेगा।
	योजना में पात्रताः सभी परिपक्व स्वयं सहायता समूह।
	वैधताः 3 वर्षों हेतु वैध बशर्ते कि खाते का परिचालन संतोषजनक हो।
	प्रतिभूतिः बैंक ऋण से सृजित आस्तियों का दृष्टिबंधन (hypothecation)
	सीमाः ऋण सीमा न्यूनतम रू0 2 लाख
	ऋण सुविधा की प्रकृतिः मियादी ऋण के रूप में स्वीकृत किया जायेगा।
	ब्याज दरः जो भी स्वयं सहायता समूह के लिये लागू हो
सभी कामर्शियल बैंक	
1 डी.आई.आर योजना	उद्देश्यः 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण देकर ग्रामीणों का विकास करना।
	योजना में पात्रताः गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले SHG सदस्य, जिनकी ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय क्रमशः 18000 एवं 24000 से ज्यादा न हो।
	ऋण का प्रकार एवं अवधिः मियादी ऋण/3 से 5 वर्ष
	ऋण राशिः 15 हजार रूपये
	ब्याज दरः 4 प्रतिशत वार्षिक
	प्रतिभूतिः ऋण द्वारा उत्पन्न की गयी सम्पत्ति पर प्राथमिक आडमान (hypothecation)
उक्त योजनाओं हेतु सम्पर्क सूत्र हैं-	सम्बन्धित क्षेत्रीय बैंक के प्रबन्धक
नाबार्ड	
1 वेंचर कैपिटल फन्ड स्कीम	उद्देश्यः डेयरी व पोल्ट्री को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार के कृषि मत्रालय की स्कीम है। इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से होता है।
	योजना में पात्रताः सहकारिता एवं स्वयं सहायता समूह
	ऋण का प्रकारः मियादी ऋण, जिसमें परियोजना लागत का 10 प्रतिशत हितभागियों का मार्जिन मनी, 50 प्रतिशत नाबार्ड द्वारा वेन्चर कैपिटल फन्ड के रूप में दिया जायेगा जिस पर कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा एवं 40 प्रतिशत बैंक द्वारा ऋण दिया जायेगा। ऋण खाते के नियमित संचालन पर लगने वाले ब्याज पर 50 प्रतिशत सब्सीडी भी दी जायेगी।
	ऋण की अवधिः अधिकतम अवधि 9 वर्ष

योजना का विवरण	**अनुमन्य सुविधायें/अनुदान**
	मार्जिनः 10 प्रतिशत ब्याज दरः सामान्य कृषि ऋणों की ब्याज दर
2 ग्रामीण गोदाम (कोल्ड स्टोरेज) निर्माण	ग्रामीण गोदाम निर्माण हेतु 33% सब्सिडी पर ऋण दिया जाता है।
3 रूरल टूरिज्म	रूरल टूरिज्म गाइड प्रशिक्षण, सामुदायिक क्षमता विकास में सहयोग

उक्त योजनाओं हेतु सम्पर्क सूत्र निम्न हैं-

ग्राम/न्याय पंचायत स्तर	ब्लॉक स्तर	जनपद स्तर	राज्य स्तर
-	खण्ड विकास अधिकारी	जिला प्रबन्धक नाबार्ड	महा प्रबन्धक नाबार्ड, देहरादून